

क्रमांक 316 / प्रशासन/स्थापना/96.

दिनांक 18.10.1996

आदेश

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.10.96 में म०प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22-1973) की धारा 49 के प्रावधानानुसार लिये गये निर्णय के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद, वेतनमान एवं विषय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाता है . यदि आवश्यक हुआ तो परिवीक्षा अवधि निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी . इनकी सेवार्यें विश्वविद्यालय परिनियम 31 एवं अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी .

इनका वेतनमान मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा .

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे .

क्र०	नाम	पद	वेतनमान	विषय	अन्य विवरण
1.	डॉ. रत. च्ही. रत. चौहान	रीडर	3700-125-	प्रबंध अध्ययन	
2.	डॉ. ललित प्रकाश पट्टेरिया	...	4950-150- 5700.	...	
3.	श्री तंजय कुमार भट्ट	व्याख्याता	2200-75- 2800-100- 4000.	...	

कार्य परिषद के निर्देशानुसार,
[Signature]
(प्रो एच०एल० मुन्ता)
कुलसचिव.

प्र०क्र० 317 / प्रशासन/स्थापना/96.


दिनांक 18.10.96

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. रत. च्ही. रत. चौहान

2. डॉ. ललित प्रकाश पट्टेरिया

3. श्री तंजय कुमार भट्ट



को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें . कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ